

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
पत्रांक \२२९/14-10 सहारनपुर दिनांक अक्टूबर ०९-2017
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प० लखनऊ।

विषय:- शिवालिक वन प्रभाग में छुटमलपुर -गणेशपुर भाग(एन०एच०-72ए) किमी० 4.100 से 16.000 तक तथा रुडकी-छुटमलपुर-सहारनपुर-यमुनानगर(एन०एच०73) किमी० 22.000 से 23.000 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.295 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सा०वा० सहारनपुर में किमी० 28.3000 से 70.000 तक 4 लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 30.966 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 700/11सी-सहारनपुर दिनांक 7/8.09.2017 तथा प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर का पत्रांक 1288/14-10 दिनांक 09.10.2017

महोदय,

विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 7/8.09.2017 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी, परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, देहरादून से प्राप्त कर अपने पत्रांक 1288/14-10 दिनांक 09.10.2017 द्वारा आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित किया गया है:-

Sl.No	Observations raised by Nodal officer	Compliances
1	आन लाइन पार्ट-1 के बिन्दु C-b(iii) में अपलोडेड अभिलेखों पर किसी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम प्राधिकारी के नाम व सील तथा दिनांक सहित हस्ताक्षर कराकर अपलोड कराये।	आन लाइन पार्ट-1 के बिन्दु C-b(iii) में वांछित हस्ताक्षरित अभिलेख नाम एवं मोहर अंकित करते हुये पुनः अपलोड कर दिये गये हैं।
2	आन लाइन पार्ट-1 के बिन्दु C-b(iv) में अक्षांश देशान्तर अंकित कर अपलोड नहीं किया गया है। अपलोडेड अभिलेखों पर किसी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। सक्षम प्राधिकारी के नाम व सील तथा दिनांक सहित हस्ताक्षर कराकर अपलोड कराये।	आन लाइन पार्ट-2 के बिन्दु C-b(iv) में वांछित हस्ताक्षरित अभिलेख नाम व मोहर अंकित करते हुये पुनः अपलोड कर दिये गये हैं।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की KML File में चयनित स्थल पेन्टेड प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें मौके की वनावरण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही	आन लाइन पार्ट-2 के बिन्दु 13(i) पर संशोधित KML फाइल अपलोड कर दी गई है, तथा संबन्धित की सी०डी० प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

	है। कृपया आन लाइन पार्ट के बिन्दु-13(i) पर KML file संशोधित अपलोड करें व सीडी प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	
4	बिन्दु -9 के क्रम में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की आख्या संलग्न नहीं की गई है। आख्या प्राप्त कर आन लाइन पार्ट-1 के Additional information detail में अपलोड करते हुये सत्यापित प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करे।	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 668/12-1 दिनांक 07.09.2017 द्वारा महानिरीक्षक (वन्यजीव) वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाकित प्रस्ताव के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश मांगे गये हैं। (छाया प्रति संलग्न) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि मार्ग निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की आख्या REC meeting से पूर्व MOEF को उपलब्ध करा दी जायेगी।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

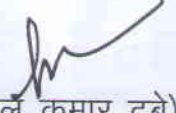
 (सुनील कुमार दुबे)
 मुख्य वन संरक्षक
 प्रभारी सहारनपुर वृत्त,
 सहारनपुर।

पत्रांक 1225/14-10 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर।
- 3- परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीओआई0यू0, देहरादून।

01C


 (सुनील कुमार दुबे)
 मुख्य वन संरक्षक
 प्रभारी सहारनपुर वृत्त,
 सहारनपुर।

Received

 10/10/17